कार्यवाही विवरण

मेसर्स फिल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–दिघोरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित Expansion of Sponge Iron from (60,000 Tons/Year to 1,75,500 Tons/Year) & Installation of New Induction furnacess (1,53,000 Tons/Year), Rolling Mill (1,53,000 Tons/Year) Coal Gasifier (12,000 Nm^3/hr) and Power Plant (18 MW (WHRB based =12 MW) + FBC based =6 MW) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 30.11.2019 दिन शनिवार, समय 12.00 बजे ग्राम–दिघोरा डिपरापारा, आवासपारा, फिल इस्पात पुराना गेट फिल इस्पात चौक से दिघोरा बस्ती की ओर मुख्य मार्ग पर तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स फिल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–दिघोरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित Expansion of Sponge Iron from (60,000 Tons/Year to 1,75,500 Tons/Year) & Installation of New Induction furnacess (1,53,000 Tons/Year), Rolling Mill (1,53,000 Tons/Year) Coal Gasifier (12,000 Nm^3/hr) and Power Plant (18 MW (WHRB based =12 MW) + FBC based =6 MW) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 27.10.2019 के अंक में तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली में दिनांक 27.10.2019 के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 30.11.2019 दिन शनिवार, समय 12.00 बजे ग्राम–दिघोरा डिपरापारा, आवासपारा, फिल इस्पात पुराना गेट फिल इस्पात चौक से दिघोरा बस्ती की ओर मुख्य मार्ग पर तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर एवं कोटा, जिला–बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम–पंचायत दिघोरा, खरकेना, मेडपार (छोटा), बूटेना, मुरू, पाली, कबराकांपा, पथराली, बिरकोनी एवं धोराभाटा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विन्ग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नई दिल्ली, सदस्य सचिव, मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण

संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना के संबंध में 01 पत्र प्राप्त हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 30.11.2019 दिन शनिवार, समय 12.00 बजे ग्राम–दिघोरा डिपरापारा, आवासपारा, फिल इस्पात पुराना गेट फिल इस्पात चौक से दिघोरा बस्ती की ओर मुख्य मार्ग पर तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री बी. एस. उईके, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. सुरेश चंद्र, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्त्पश्चात् प्रस्तावक की ओर से श्री पी. के. वर्मा, जनरल मैनेजर, मेसर्स फिल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–दिघोरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई। उन्होने बताया कि हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए डी.आर. किल्न किल्न में इलैक्ट्रास्टैटिक प्रैसिपिटैटर, इण्डक्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिस्टम तथा एफ.बी.सी. बॉयलर में इलैक्ट्रौ प्रैसिपिटेटर व जल प्रदूषण हेतु प्रस्तावित डी.आर.आई किल्न, इण्डक्शन फर्नेस इकाई तथा रोलिंग मिल क्लोज्ड लूप कूलिंग वाटर सिस्टम की स्थापना आदि।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री संजीत कुमार डहरिया, ग्राम–डिघोरा :–** डस्ट उड रहा है। घर में भर जाता है। हम डस्ट खायेंगे। वृक्षारोपण कहां किया है। कही कुछ नहीं किया है। चलो गांव में दिखाता हूं। कंपनी बना रहा है, गलत है। कंपनी बनायेगा तो हम हाईकोर्ट में जायेंगे। चलाना है तो चुपचाप चलाये नहीं तो इसको भी बंद करें।

2. **श्री विजय कुमार यादव, ग्राम–डिघोरा :–** ये फैक्टी बना है। उसमें हमारा खेत खलियान है, मावेशी बहुत परेशानी होती है। बीमारी खुजली, फोडा फुन्सी हो रहा है। मच्छर बढ रहा है। छोटा फैक्टी है। बडा बनने से परेशानी होगा। फैक्टी बने तो 10 कि.मी. दूर चला जाये।

3. **श्री भूपेन्द्र गौरहा, ग्राम–सकर्रा :–** फिल इस्पात खुलना चाहिए। विकास अच्छा कर रहा है। 20 साल से यहां आ रहा हूॅ। यहां पहले छोटा छोटा घर था। यहां लेंटर वाला घर बन गया है। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यहां की स्थिति देखकर बोल रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप होने लगा। क्योंकि विकास हुआ है उसको मैं बोल रहा हूं। लोकल आदमी को योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। बाहरी को काम नहीं मिलना चाहिए। पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषण नहीं होना चाहिए।

4. **श्री राजेश तंबोली, ग्राम–छतौनी :–** दिघोरा फिल इस्पात आगे बढाने का विस्तार का है। विस्तार का ध्यान रखें। योग्यता के अनुसार आसपास के गांव दिघोरा, मुरू, घुटेना, खरकेना, सकरीभवर, मेडपार को पहले प्राथमिकता दी जाये। स्वास्थ्य में उपचार के लिए यहां हास्पिटल का ध्यान दिया जाये। पर्यावरण के लिए आसपास के स्कूल, गांव, पंचायत भवन में पेड पौधा लगाया जाये। समय समय पर गावं के स्वास्थ लाभ चेकअप होता रहे। पानी की समस्या के लिए प्रबंधक ध्यान रखे। पानी दूषित न हो। मैनेजमेंट आसपास के गांव का विकास पे ध्यान दे।

5. **श्री रामदेव यादव, ग्राम–बिरकोनी :–** स्थानीय गांव दिघोरा में फिल इस्पात बना है। यहां के गावं के कितने लोगों को रोजगार मिला है बताये। आसपास के गांव का किसको रोजगार दिया है। बता दे। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। धूल धक्कड होता है। कभी कभी चौक में एक्सीडेंट हो जाता है। स्थानीय गांव की समस्या को सुने। हमको रोजगार नहीं मिला है। मै ये जानना चाहता हूॅ। कि आसपास के गांव के कितने लोगो को रोजगार मिला है।

6. **श्री ताराचंद्र साहू, ग्राम–खरकेना :–** राज्य सरकार बडी बडी योजना बडी बडी बाते करता है। इस गांव में फिल इस्पात लगा है 15 साल हो गया। डिघोरा गांव का क्या विकास किया है? बता दें। इसकी घोर विरोध होना चाहिए। फिल इस्पात को बंद होना चाहिए। इसने कोई कार्य नहीं किया है। दिघोरा गांव को गोद में ले। फिल इस्पात को इस गांव का विकास करना चाहिए। संयंत्र का विकास नही होना चाहिए । बंद किया जाये, बंद किया जाये। हमारी क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के लिए पेपर में लिखा है, की जन सुनवाई स्थगित हो रही है। यह अन्याय और अत्याचार है। यह नहीं चलेगा। वर्दीधारी ये किसान के बेटा है। उद्योग के बेटे होते तो ये वर्दी नही पहने होते। इनको हमारी मदद करनी चाहिए। इस संयंत्र का विरोध करता हूं, विस्तार की बात अलग है। इस संयंत्र को बंद करना चाहिए।

7. **श्री कार्तिक राम जायसवाल, ग्राम–बिरकोनी :–** बैग फिल्टर मशीन लगा है, यह कितने घंटा चलता है। बता दे। दो चार घंटे तक ही चालू रखता है। छोटे से कारखाने में बैग फिल्टर की व्यवस्था नहीं है। बडे उद्योग में क्या करेगा ? यहा पर कृषि है। प्लांट नहीं बनना चाहिए बिरकोनी की जनता की ओर से।

8. **श्री रामेश्वर साहू, ग्राम–खरकेना :–** आज के पेपर में छपा है, मीटिंग स्थगित हो रही है। पेपर में सूचना दे रहे है और गुपचुप तरीके से जन सुनवाई कर रहे है। फैक्टी के लोग भी अफवाह फैला रहे है। पता नहीं कौन सी बात है। प्रशासन आम जनता के लिए भलाई के लिए काम करती है कि फैक्टी के लिए। पढकर सुनाया गया। प्रशासन को जब जानकारी नहीं है तो अन्य जनता को क्या होगा। नई दुनिया के 12 नंबर पेज में देखे। पढकर बताया गया। लिखित में जन समुदाय दे रहा है। किस तरह हम लोग टेम्परेचर का बढा हुआ प्रदूषण को झेल रहे है। प्रतिदिन जल की आवश्यकता 50 कि.ली./दिन है। 263 कि.ली./दिन क्षमता के बाद होगी। किसान को पानी की उलब्धता नहीं होगी। किसान के लिए नहीं बोलते कि पानी उपलब्ध करायेंगे। कारखाना के लिए करा देते है। जल की समस्या है। खरीब फसल पानी के कमी के कारण नहीं हो रहा है। नहर उद्योग के लिए आ गया है। रोकना टोकना होने लगा। गर्मी के दिनों में शुद्व पेयजल नहीं मिलता है सब गांव में सभी हैंडपंप चल रहे है क्या ? उद्योग नहीं लगाने देंगे। दूषित जल के कारण आसपास की कृषि बंजर हो जायेंगे। काला–काला डस्ट हमारे तालाब में फैल जाता है। दिल्ली जैसी स्थिति हमको नहीं चाहिए। यह प्लांट नहीं चाहिए। दूषित जल से पशु–पक्षी, मानव को हानि होगी। सांस लेने में प्रदूषण कहां जायेंगा? जनमानस हो हानि हो रही है उसका विरोध हो रहा है। 10 कि.मी. त्रिज्या के गांव प्रभावित होंगे। जल, वायु मृदा प्रभावित होगा। आसपास की मिट्टी बंजर होती जा रही है। गंभीर बीमारी के चपेट में आयेंगे। कैंसर, दमा होगा। रोजगार, आर्थिक

उन्नति का लालच दे रहे है। ये हमें नहीं चाहिए। स्वस्थ जीवन, स्वास्थ जनमानस चाहिए। संयंत्र न लगाया जाये। इसे स्थगित कर दिया जाये। गुपचुप होगा तो आंदोलन होगा। यह पढकर सुनाया गया।

9. **श्री मनोज कुमार निषाद, ग्राम–मेडपार :–** हम चांवल धान खाते है। हम छत्तीसगढियां है। फैक्टी होने से धुआ खायेंगे? भात कहां खायेंगे। तभी हम जीते है। फैक्टी से क्या क्या रोग होता है? पेपर में लबारी मार दिया है। फिल इस्पात में हमारे आसपास के प्रथम द्वितीय अधिकारी नहीं है। फैक्टी में मुख्य पद में यहां के छत्तीसगढ के स्थानीय नागरिक होगा तो पीढा दर्द को समझेगा। पर्यावरण बचाना है जितना फैक्टी है उतना को चलाये और आगे न बढाये।

10. **श्री शैलेन्द्र कुमार दुबे, ग्राम–मुरू :–** यह जो शिविर लगा हुआ है उदेश्य सब को मालूम है। सब लोग बोल के गये है। यहां फायदा और नुकसान दोनो है। गांव के पढे–लिखे लोगो को यहां रोजगार मिलेगा। सभी को रोजगार तो मिलता ही है। जो फिल्टर की बात करते है डस्ट रोकने के लिए बैग फिल्टर ईएसपी लगा है। आप सोच लिजिए। ऐसा नहीं है किसी को रोजगार न मिले।आज 250 परिवार का भरण पोषण हो रहा है। हो हल्हा होने लगा।

11. **करूणा डहरिया, ग्राम–डिघोरा :–** किस लिये आये हो? सबको पता है ना। हम लोगों को भ्रम किया है जो भी कार्यक्रम होगा वो रदद् कर दिया गया है। फिर यहां इक्ट्ठा होने का क्या मतलब है? पहले गांव के आधा लोग फैक्टी खुले इसके लिए सहमत है। जो काम कर रहे है। मै यहां गांव में एक साल से आई हूं। मेरे पैरो में दाद खुजली स्टार्ट हो गया है। 3–4 साल से हमारे गांव में एकता की जगह अनेकता है। लेडिस लोग आगे नहीं बढेंगे तो कहां विकास होगा? धान वगैरह कुछ नहीं होता है काला पड जाता है। कंपनी कैसे बंद होगा आप लोग में एकता हो। एकता होगा तब तो। कितना डस्ट हम शरीर में ग्रहण कर रहे है। मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है मै जानती हू। हमारे घर का कोई काम नहीं करता है। सब एग्री होते तो बंद हो जाता । कुछ करना है तो बंद करके दिखाओं।

12. **श्री रामकुमार डहरिया, डिघोरा :–** पेपर में छपा था मीटिंग कैंसल हो गया। उसके बाद भी हम लोग यहां आये है। बिना बुलाये आये है। इसको स्थगित किया जाये। कैंसल किया जाये। फिल इस्पात यहां न बने। सब लोग जोरदार ताली बजाओं उठकर यहां से चलते है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1.45 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री पी. के. वर्मा, जनरल मैनेजर, मेसर्स फिल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–दिघोरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। हमारी फैक्टी में डिघोरा गांव के 50 प्रतिशत काम कर रहे है। आसपास के गांव वाले भी काम कर रहे है। इनके द्वारा बताया गया। योग्यता अनुसार, आवश्यकता अनुसार रोजगार दिया जाता है। मै विश्वास दिलाता हूं सर्वप्रथम यहां के लोगों को रोजगार दिया जायेगा। डिघोरा के महिला–पुरूष दोनों काम कर रहे है। डिघोरा गांव के लिए हमने नल लगवाया है पानी की टंकी लगाया है। हम प्रशासन के अनुसार काम करते है। छत्तीसगढ के 85 प्रतिशत को रोजगार दिया गया है। आगे फैक्टी बढेगा तो यहां के लोगों को रोजगार दिया जायेगा। हमारी फैक्टी में 24 घंटा ईएसपी चलता है। लगभग 2.00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 10 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 12 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 250 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 103 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)